

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (7)

मैनुअल संख्या-7

पॉलिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था
का विवरण

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियों बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया 3/3, इन्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून पिन-248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल usidcl@yahoo.co.in & usidcl@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल-7

पॉलिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था का विवरण

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड एक कार्यदायी संस्था है तथा इसकी पॉलिसी/कार्यप्रणाली का मैनुअल प्रशासन द्वारा अंतिम किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डारेक्टरर्स द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था में यहाँ NHAI की प्रणाली प्रचलित है। अतः आंतरिक नीति-नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। निगम की समस्त नीतियों का आधार शासकीय नियम ही है।